

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2025/ 3609

दिनांक:- 7 अगस्त, 2025

- : आ-दे-श : -

- 01 निम्नांकित सारणी में अंकित कर्मचारीगण के पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्य-निष्पादन बाबत आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया गया था
01	केवल कृष्ण अरोड़ा शरिस्तेदार ग्रेड-I	ASJ, Women Atrocity Cases	Family Court No. 1
02	सुनीता खत्री रीडर ग्रेड-II	ACJM No. 3	ADJ No. 3
03	जाकिर अली तामील कुनिन्दा	ADJ Bassi	Family Court No. 4

- 02 प्रशासनिक कारणों से जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
1.	केवल कृष्ण अरोड़ा शरिस्तेदार ग्रेड-I	ASJ, Women Atrocity Cases	Family Court No. 1	रीडर ग्रेड-I के रिक्त पद पर
2.	सुनीता खत्री रीडर ग्रेड-II	ACJM No. 3	ACJM No. 10	विजय कुमार भट्ट शरिस्तेदार ग्रेड-II
3.	विजय कुमार भट्ट शरिस्तेदार ग्रेड-II	ACJM No. 10	ACJM No. 3	सुनीता खत्री रीडर ग्रेड-II
4.	अजय कुमार लिपिक ग्रेड-I	ADJ No. 10 (Sanganer HQ)	ADJ No. 11 (Sanganer HQ)	हरिओम शर्मा लिपिक ग्रेड-I
5.	हरिओम शर्मा लिपिक ग्रेड-I	ADJ No. 11 (Sanganer HQ)	ADJ No. 10 (Sanganer HQ)	अजय कुमार लिपिक ग्रेड-I
6.	फिरोज खान लिपिक ग्रेड-II	ACJM No. 12 (Bassi HQ)	Gram Nyayalaya, Bassi	निर्मल शर्मा
7.	निर्मल शर्मा लिपिक ग्रेड-II	Gram Nyayalaya, Bassi	ACJM No. 12 (Bassi HQ)	फिरोज खान
8.	अजाज अली च०श्रे०क०	Spl. Court, CBI No. 3	Spl. JM (NI Act Cases) No. 10	रामदयाल शर्मा च०श्रे०क०
9.	रामदयाल शर्मा च०श्रे०क०	Spl. JM (NI Act Cases) No. 10	Family Court No. 4	रिक्त पद पर

नोट:- उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

- 03 अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, चाकसू, जयपुर महानगर-प्रथम में पीठासीन अधिकारी द्वारा कैम्प कोर्ट संचालित किये जाने के दिन न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-19 (चाकसू) में पदस्थापित तामील कुनिन्दा/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण में से एक कर्मचारी द्वारा उक्त कैम्प कोर्ट में कार्य संपादित किया जावेगा।

- 04 जयपुर महानगर-I में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में कार्य-निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है
01	मनोज कुमार अग्रवाल रीडर ग्रेड-I	Spl. Court, CBI No. 4	ACJM No. 6

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर प्रथम

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है
02	सुमन सिंघल रीडर ग्रेड-II	ACJM No. 6	Spl. Court, CBI No. 4
03	विजय कुमार भट्ट रीडर ग्रेड-II	ACJM No. 3	ADJ No. 3
04	जाकिर अली तामिल कुनिन्दा	ADJ Bassi	Spl. Court, CBI No. 3

नोट:-

- उक्त कर्मचारीगण का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारीगण अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।
- उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

संबंधित समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्ति से पूर्व संबंधित वर्ष अवधि के लिये वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-I की पूर्ति कर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित पीठासीन अधिकारी 7 दिवस के भीतर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-II की पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

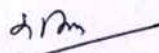

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2025/ 3609

दिनांक:- 7 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
- 02 संबंधित न्यायालय/कर्मचारी , जयपुर महानगर-प्रथम
- 03 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 04 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी
- 05 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली /रक्षित पत्रावली


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर-प्रथम